न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 38/2015 (राजसमन्द डिक्री)

श्री किशनलाल आत्मज प्रताप उर्फ हजारी जाट निवासी जीवाखेड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री किशना आत्मज चंपाजी धोबी निवासी जीतावास तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द हाल मकान नंबर 10 कर्णावती सोसायटी भैरव नाथ चार रास्ता मणिनगर अहमदाबाद
2. तहसीलदार महोदय रेलमगरा राजसमन्द

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलक्टर रेलमगरा दिनांक 21–9–2015 प्रकरण सं. 89/2014 वाद

————————

उपस्थित :–1–श्री बालकृष्ण खत्री अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री एस.के. मेहता राजकीय अधिवक्ता

————/————

निर्णय **दिनांक 12–12–2017**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि वादी के पिता के नाम पर ग्राम कुरज में आराजी संख्या 2699 रकबा साढ़े 3 बीघा भूमि थी। पेमाईश में सम्वत् 2020–21 में खसरा संख्या 2699 के नये नंबर 5257 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा व 5258 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा बने, जो कूल किता–2 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा बने है। इन भूमियों पर पिता के समय से वादी काबिज है। भू–प्रबन्ध विभाग ने गलती से यह जमीन प्रतिवादी संख्या–1 के नाम बविलायत माता दर्ज कर दी व यह भूमि प्रतिवादी संख्या–1 के नाम दर्ज है। प्रतिवादी संख्या–1 ने स्वीकार तो किया, परन्तु

इन भूमि में हुई प्रविष्ठ त्रुटि को सुधारने की कोई कार्यवाही नहीं की। अतएव वदी को खातेदारी घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती करवाई जाय।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही होने के बाद अपने निर्णय दिनांक 13–10–2011 से वादी अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया जिससे रूष्ट होकर वादी द्वारा अपील संख्या 219/2011 इस न्यायालय में पेश की गई। जिसमें इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 9–5–2014 में निम्नानुसार प्रतिप्रेषण आदेश पारित किया :–

"हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का बिना विस्तृत विवेचन किये वाद को धारा 42 बी के विपरीत मानकर खारिज किया है जो विधि सम्मत प्रकरण नहीं होता है। वाद खातेदारी घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का है, जिस पर पक्षकारों की साक्ष्य ली जाकर एवं सुनकर विस्तृत निर्णय किया जाना हम उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13–10–2011 निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली पुनः उक्त ऑब्जरवेशन की रोशनी में नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालनय को प्रतिप्रेषित की जाती है"।

अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषण आदेशों के क्रम में दिनांक 28–7–2014 को पुनः प्रकरण दर्ज किया गया तथा प्रतिवादी संख्या–1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा। वकील वादी को पुनः साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिया गया, परन्तु उसके द्वारा दिनांक 4–8–2015 को और कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी को एक–तरफा सुनने के बाद पुनः अपने निर्णय दिनांक 21–9–2015 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर पुनः अपीलान्ट वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 14–12–2015 को पेश की।

अधिनस्थ न्यायालय का दिनांक 21–9–2015 को वादी अपीलान्ट के अधिवक्ता की उपस्थिति में हुआ है तथा इसकी मयाद 20–11–2015 होती है। जबकि अपील दिनांक 14–1272015 को पेश की गई, अर्थात अपील 24 दिन विलम्ब से पेश हुई है। नकल का आवेदन 7–10–2015 को किये जाने के बाद नकल दिनांक 9–10–2015 को दी जा चुकी है। अपीलान्ट द्वारा नकल दिये जाने में 2 दिन के विलम्ब को कम भी कर दे,

तो भी 22 दिनों के विलम्ब को शमन किये जाने के लिए दफा–5 जाब्ता मयाद का कोई आवेदन पेश नहीं किया है। अतः प्रथम दृष्टया ही अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज किये जाने योग्य है।

प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 सरकार औपचारिक पक्षकार की और से राजकीय अधिवक्ता श्री एस.के. मेहता ने उपस्थिति दी। हालांकि प्रकरण बेरून मयाद होने से खारिज किये जाने योग्य है, परन्तु प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पूर्व निर्णय में भी मिलान खसरा में नामान्तरकरण संख्या 538 के आधार पर भूमियां प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 के नाम जाने का उल्लेख किया है, प्रतिप्रेषण आदेशों के पश्चात् अपीलान्ट से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त नामान्तरकरण संख्या 538 की प्रति पेश नहीं की है तथा जिस नामान्तरकरण से भूमियां उसके पिता से रेस्पोन्डेन्ट प्रतिवादी संख्या–1 के नाम भू–प्रबन्ध के दौरान की गई है, उसकी अवैधता प्रमाणित किया जाना अपीलान्ट वादी का दायित्व था, जिसका निर्वहन उसके द्वारा नहीं कर भू–प्रबन्ध विभाग को आक्षेपित किया जाना कदापि मान्य नहीं है। यदि भू–प्रबन्ध विभाग का नामान्तरकरण त्रुटिपूर्ण/अविधिक होता है, तो ही यह अपेक्षित है कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा स्वत्व में परिवर्तन अविधिक है। अपीलान्ट सम्पूर्ण तथ्यों के प्रसंज्ञान में होने के बावजूद उक्त नामान्तरकरण को पेश नहीं करता तो भू–प्रबन्ध विभाग को उत्तरदायि अथवा त्रुटिपूर्ण कार्यवाही किये जाने का दोषी नहीं माना जा सकता।

उपरोक्त समग्र विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि अपील अपीलान्ट न सिर्फ बेरून मयाद के अपितु गुणावगुण आधार पर भी पोषणीय नहीं है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21–9–2015 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12–12–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम .....
उदयपुर व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

श्री किशनलाल आत्मज प्रताप उर्फ हजारी जाट निवासी जीवाखेड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद बनाम **1– श्री किशना आत्मज चंपाजी धोबी निवासी जीतावास तह0 रेलमगरा जिला राजसमन्द हाल म0नं0 10 कर्णावती सोसायटी भैरवनाथ चार रास्ता अहमदाबार व सरकार**

अपील नं0 **38/2015** बनाराजगी डिगरी अदालत..... **सहायक कलक्टर** ..... **रेलमगरा .....** मुकाम मुक्र्खे.....**21**.....माह.....**09**..... **2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**12**..... माह .....**12**..... सन् **2017** रूबरू..... पक्षकारान व हाजरी ....**श्री बालकृष्ण खत्री** ..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री एस.के.मेहता राजकीय अधिवक्ता** ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21–9–2015 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**12**..... माह ...**12**..... **2017** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।